निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या :130/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

शंकर लाल पुत्र बिरदीचन्द जाति माली निवासी सामोद रोड नीमडी, कस्बा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक चौमू पीठासीन अधिकारी श्रीमती रतन कौर (आर॰ए॰एस॰)।
2. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी गोपाल जाति माली, निवासी सामोद रोड नीमडी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. हनुमान पुत्र स्व॰ नानू
   समस्त जाति माली, निवासी सामोद रोड नीमडी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. घीसी देवी बेवा नानगराम
5. बाबूलाल पुत्र स्व॰ नानगराम
6. रामधन पुत्र स्व॰ नानगराम
   समस्त जाति माली, निवासी सामोद रोड नीमडी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
7. श्रीमती पार्वती देवी पुत्री स्व॰ नानगराम पत्नी पूरण मल सैनी जाति माली निवासी होली दरवाजा, कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर ।
8. श्रीमती शीला देवी उर्फ सुशीला देवी पुत्री स्व॰ नानगराम पत्नी कन्हैयालाल जाति माली, निवासी ग्राम मोठूका बास बांडी नदी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
9. अमर चन्द पुत्र स्व॰ श्री घीसालाल
10. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व॰ श्री घीसालाल
11. मदन लाल पुत्र स्व॰ श्री घीसालाल
12. श्रीमती मंगली देवी बेवा स्व॰ श्री घीसालाल
13. श्रीमती सोनी पुत्री घासीराम
14. श्रीमती लक्ष्मी देवी बेवा स्व॰ श्री सूजाराम
15. प्रहलाद पुत्र स्व॰ श्री घीसालाल
    समस्त जाति माली, निवासी सामोद रोड नीमडी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर ।
16. हर्षित पुत्र स्व॰ श्री रामधन जाति माली, निवासी प्लाट नम्बर 215
17. सुमित्रा पुत्री स्व॰ श्री रामधन धर्म पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी शिवाजी नगर, मालीवाडा, ग्राम पोस्ट कालवाड, जिला जयपुर ।
18. संतोष देवी पुत्री रामधन धर्म पत्नी मन्नालाल जाति माली निवासी भोजू की ढाणी, मकान नम्बर एक, ग्राम पोस्ट नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर
19. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्रवण
20. श्रीमती अर्चना देवी पत्नी हरिकिशन
21. श्रीमती भूरी देवी पत्नी स्व॰ श्री महादेव
22. मूल शंकर पुत्र स्व॰ श्री महादेव

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

23. पूरण मल पुत्र स्व॰ श्री महादेव
24. गिरधारी पुत्र स्व॰ श्री महादेव
25. प्रहलाद पुत्र स्व॰ श्री महादेव
26. रामचन्द्र पुत्र स्व॰ श्री महादेव
समस्त जाति माली, निवासी सामोद रोड निमडी, तहसील चौमू।
27. मीरा देवी पुत्री स्व॰ श्री महादेव पत्नी श्री राधेश्याम जाति माली निवासी लडडकिया की ढाणी, पीली की तलाई, आमेर, जिला जयपुर।
28. सरिता पुत्री स्व॰ श्री महादेव पत्नी पत्नी राजेन्द्र जाति माली, निवासी दुलारिंह की ढाणी, कस्बा चौमू, जिला जयपुर ।
29. श्रीमती लल्ली देवी पत्नी स्व॰ श्री भगवान सहाय
30. देवी सहाय पुत्र स्व॰ श्री भगवान सहाय
31. पवन पुत्र स्व॰ श्री भगवान सहाय
समस्त जाति माली, निवासी सामोद रोड निमडी, तहसील चौमू।
32. श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री स्व॰ श्री भगवान सहाय पत्नी सीताराम जाति माली, निवासी महार कला, तहसील चौमू।
33. श्रीमती पिंकी देवी पुत्री स्व॰ श्री भगवान सहाय पत्नी श्री भंवर लाल जाति माली, निवासी ग्राम हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
34. भंवर लाल पुत्र स्व॰ श्री रामनाराण
35. तेजपाल पुत्र स्व॰ श्री रामनाराण
36. बनवारी पुत्र स्व॰ श्री रामनाराण
37. संतोष पुत्र स्व॰ श्री रामनाराण
38. सोमदत्त पुत्र स्व॰ श्री रामनाराण
समस्त जाति माली, निवासी सामोद रोड निमडी, तहसील चौमू।
39. श्रीमती रामेश्वरी देवी पुत्री स्व॰ श्री रामनारायण पत्नी ईश्वर लाल जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 7 चौढाणी चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
40. श्रीमती केशी देवी पुत्री स्व॰ श्री रामनारायण पत्नी मोहन लाल जाति माली, निवासी खोर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
41. श्रीमती नाना देवी पुत्री स्व॰ श्री रामनारायण पत्नी हीरालाल जाति माली निवासी खोर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
42. श्रीमती मनभरी देवी पत्नी स्व॰ श्री हनुमान सहाय जाति माली, निवासी सामोद रोड निमडी, तहसील चौमू।
43. मालीराम पुत्र स्व॰ श्री हनुमान सहाय निवासी सामोद रोड निमडी, तहसील चौमू।
44. श्रीमती कजोडी देवी पत्नी मांगीलाल पुत्री स्व॰ श्री हनुमान सहाय जाति माली, निवासी चक्की के पास, भोजलावा चौमू, जिला जयपुर।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

45. श्रीमती कमली देवी पत्नी चौथमल पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय जाति माली, निवासी चक्की के पास, भोजलावा चौमू, जिला जयपुर ।
46. श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी गोपाल पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय जाति माली, निवासी ग्राम चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
47. श्रीमती नन्छी देवी पत्नी मदन लाल पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय जाति माली, निवासी ग्राम चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
48. श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी कानाराम पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय जाति माली, निवासी बस स्टेण्ड ग्राम अचरोल, तहसील आमेर जिला जयपुर ।
49. रघुनाथ पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
50. गणेश पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
51. गजानन्द पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
52. श्रीमती दाखा देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर

समस्त जाति माली, निवासी सामोद रोड निमडी, तहसील चौमू।

53. शीलू देवी पत्नी सांवर मल पुत्री स्व. श्री रामेश्वर जाति माली, निवास हाली रदवाजा, कस्बा चौमू, जिला जयपुर ।
54. श्रीमती गीता देवी पत्नी प्रहलाद पुत्र स्व. श्री रामेश्वर जाति माली, निवासी वीर तेजाजी के फाटक के पास, रेनवाल रोड, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
55. मालीराम पुत्र स्व. श्री गौरू
56. श्रीमती नारायणी बेवा स्वा. श्री गौरू

समस्त जाति माली, निवासी सामोद रोड निमडी, तहसील चौमू।

57. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार चौमू जिला जयपुर ।
58. उप पंजीयक चौमू उप पंजीयक कार्यालय चौमू जिला जयपुर।
59. श्रीमती मीरा देवी पत्नी शंकर लाल कुमावत जाति कुमावत निवासी धोली मण्डी कस्ब चौमू ।
60. श्रीमती गोदी देवी पत्नी रूपनारायण जाति माली निवासी रूण्डल, तहसील आमेर जिला जयपुर
61. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी रामकिशोर जाति माली निवासी चांदोलिया की ढाणी, वार्ड नम्बर 30, कस्बा चौमू ।
62. श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री मंगल चन्द सैनी जाति माली, निवासी सामोद रोड निमडी, तहसील चौमू।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 08/2020 ब उनवानी शंकर लाल बनाम सुशीला व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितः–

1. श्री ओ.पी. काला अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुबोध कुमार जैन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 60 ल. 62 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 06.02.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 08/2020 ब उनवानी शंकर लाल बनाम सुशीला व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 60 लगायत 62 की ओर से अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार जैन ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर विगत काफी समय से कुछ भू माफियाओं की नजर रही है जिसके चलते उक्त वाद की विवादित भूमि में से प्रार्थी के हक व कब्जे को भूमि को नाजायज रूप से छीन लेने की नियत से कछ भू माफियाओं द्वारा दौराने दावा स्टे आदेश का उल्लंघन कर बिना कब्जे के नुमायशी खरीद फरोक्त का कार्य कर लिया गया, जिनसे अप्रार्थी संख्या 1 की अच्छी जान पहचान व उठ बैठ है। उक्त भू माफियाओं ने प्रार्थी के उक्त वाद को भ्रष्टता पूर्वक शीघ्र खारिज कर देने व जबरन प्रार्थी से उसके हक व कब्जे की भूमि को छीन लेने की बदनियती से भूमाफिया वर्ग तथा अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से अवैद्य मिलिभगत व सांठ गांठ कायम कर ली है। उक्त मिलीभगत के चलते अप्रार्थी संख्या एक जो वर्तमान में कस्बा चौमू में पीठासीन अधिकारी के पद का दुरूपयोग कर रही है, ने प्रार्थी के उक्त राजस्व वाद को विधि विरूद्व रूप से खारिज कर देने के नाम पर लाखों रूपयों की अवैद्य राशि का लेन देन बकोल अप्रार्थी संख्या 1 के साथ कर लिया गया है। जिसके चलते अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी के राजस्व वाद में विधि के प्रतिकूल रूप से मनमानी आदेशिका लिख कर व कोर्ट के अन्दर प्रार्थी को धमका कर तथा वाद खारिज कर देनी की धमकी दे कर प्रताड़ित किया जा रहा है । उक्त मिलीभगत के चलते पीठासीन अधिकारी का व्यवहार प्रार्थी के प्रति कठोरतापूर्ण तथा अप्रार्थी संख्या 60 के विरूद्व सोम्यता व आत्मियतापूर्ण है। जिसके चलते पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को तत्काल ही वाद व प्रार्थी के हक में पारित प्राथमिक डिक्री को खारिज कर देने की धमकी दी गई है जिससे प्राथी पूर्णतया भयभीत तथा प्रताडित हो गया है । उक्त वाद में पीठासीन अधिकारी ने व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रकरण में पक्षकारों की तामील वकालतनामें की प्रकिया पूर्ण हुए बिना ही प्रार्थी के अधिवक्ता रिव्यू प्रार्थना पत्र पर बहस अन्तिम की औपचारिकता पूर्ण करने का निरन्तर दवाव बनाया जा रहा है ताकि प्रार्थी के विरूद्व आनन फानन में आदेश पारित कर प्राप्त की गई अवैद्य धन राशि को पचाया जा सके। दिनांक 29.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 60 के पति पीठासीन

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी के साथ उनके चैम्बर में बैठ कर चाय पी रहा था जिसको प्रार्थी ने देख लिया, जिसके पश्चात प्रार्थी को देख कर पीठासीन अधिकारी ने छिपने की नियत से चैम्बर का गेट बन्द कर लिया जिस पर प्रार्थी कोर्ट के बाहर ही बैठ गया। तत्पश्चात काफी देर बाद मे प्रतिवादी संख्या 60 के पति व अन्य भू माफियाओं ने प्रार्थी को धमकाते हुये कहा कि उनकी साहब सैटिंग हो गई है तथा शीघ्र ही प्रार्थी का वाद खारिज होने वाला है। जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तिरित किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्योयोचित है। अतः उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 60 लगायत 62 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी का पक्ष कमजोर होने से प्रकरण के निस्तारण में देरीना करने की गरज से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू ने अपनी टिप्पणी मे प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। चौमू उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी चौमू का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को भी कोई असुविधा नही होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 08/2020 मय प्रार्थना पत्र ब उनवानी शंकर बनाम सुशीला व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू को स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 26.02.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी चौमू को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जा कर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू व उपखण्ड अधिकारी चौमू का प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **06.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर